

252 वर्षों से राष्ट्र की सेवा में समर्पित

भारतीय सर्वेक्षण विभाग / SURVEY OF INDIA

दूरभाष / Tel. : 0651 - 2482789, 2481386

फैक्स / Fax : 0651 - 2482789

ई.मेल / E-mail : Jhar.gdc soi@gov.in



झारखण्ड भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र

JHARKHAND GEO-SPATIAL DATA CENTRE


डोरण्डा, राँची / DORANDA, RANCHI-834002

झारखंड / JHARKHAND

झारखंड भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र नेमी आदेश संख्या प्रशा0-04/37-जी-9 दिनांक 17/05/2019

Ministry of Science & Technology, Department of Science & technology का पत्रांक SM/04/13/20215 दिनांक 25/03/2019 के अनुसार अधिकारी सर्वेक्षकों का वेतनमान दिनांक 01/01/2016 से notional आधार पर level 8 (pre revised grade pay Rs.4800 in PB-2) में तथा इस प्रावधान के साथ कि जिनकी 4 वर्षों की सेवा अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर पूरी हो चुकी है उन्हें दिनांक 01/01/2016 से notional आधार पर level 9 (pre revised grade pay Rs.5400 in PB-2) दिया जाता है। एवं जिन अधिकारी सर्वेक्षकों की सेवा उसी पद पर 4 वर्ष पूरी नहीं हुई है उन्हें अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर 4 वर्ष पूर्ण करने की तिथि से notional आधार पर level 9 (pre revised grade pay Rs.5400 in PB-2) दिया जाएगा। वेतन वृद्धि का लाभ वास्तविक आधार पर दिनांक 07/03/2019 या उसके पश्चात् मामला विशेष के अनुसार दिया जाएगा।

प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक J-2844/2158-7<sup>th</sup> CPC दिनांक 14/05/2019।

  
( जोय कोनगाड़ी )  
निदेशक  
झारखण्ड जी.डी.सी.  
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राँची

वितरण:- (via e-mail)

1. भारत के महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ।
2. अपर महासर्वेक्षक- पूर्वी जोन, कोलकाता/उत्तर पूर्वी जोन, शिलोंग/मध्य जोन, जबलपुर/पश्चिमी जोन, जयपुर/उत्तर जोन, चण्डीगढ़/दक्षिणी जोन, बंगलोर/स्पशलाईज्ड सर्विस जोन, देहरादून/ भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संस्थान, हैदराबाद/ प्रिंटिंग जोन, हैदराबाद।
3. निदेशक- पूर्वी मुद्रण वर्ग, कोलकाता। पश्चिमी मुद्रण वर्ग, नई दिल्ली/उत्तरी मुद्रण वर्ग, देहरादून/ दक्षिणी मुद्रण वर्ग, हैदराबाद।
4. अपर महासर्वेक्षक/निदेशक- उत्तर प्रदेश जी.डी.सी./मध्य प्रदेश जी.डी.सी./राजस्थान जी.डी.सी./महाराष्ट्र जी.डी.सी./आन्ध्र प्रदेश जी.डी.सी./हरियाणा जी.डी.सी./उत्तरांचल जी.डी.सी./पंजाब एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी./हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी./जम्मू एवं कश्मीर जी.डी.सी./बिहार जी.डी.सी./पश्चिम बंगाल,सिक्किम एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जी.डी.सी./उड़ीसा जी.डी.सी./छत्तीसगढ़ जी.डी.सी./गुजरात एवं दमन एवं दीउ जी.डी.सी./तमिलनाडु एवं पण्डीचेरी जी.डी.सी./कर्नाटक जी.डी.सी./सर्वेक्षण (हवाई) एवं नई दिल्ली जी.डी.सी./त्रिपुरा,मणिपुर एवं मिजोरम जी.डी.सी./केरल एवं लक्षद्वीप जी.डी.सी./मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी।
5. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय कोलकाता को सूचनार्थ।
6. लेखा अनुभाग अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (दो प्रति)
7. 4-एफ (जनरल)

[Type text]